

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
पत्रांक: 127/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-17(मेरठ)/448.
सेवा मे,

मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांक: सितम्बर 30 2017,

चेयरमैन,
मैसर्स एमआईटी पब्लिक स्कूल,
खसरा नं0-171/2,172/1,182/1,173/2,174/3,181/1,174/2,170/2,180/1 एवं 178,
'6'माईल स्टोन, मवाना रोड जनपद मेरठ।
विषय: मैसर्स एमआईटी पब्लिक स्कूल, द्वारा खसरा नं0-171/2,172/1,182/1,173/2,174/3,181/1,174/2,170/2,180/1 एवं 178, '6'माईल स्टोन, मवाना रोड जनपद मेरठ उ0प्र0 मे निर्मित एजुकेशनल भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ: यूआईडी:2017/35127/एमआरटी/मेरठ/754/जे0डी0।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वॉच्छनीय अभिलेख प्रस्तुत कर प्रश्नगत भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ श्री संजीव कुमार सिंह से कराया गया उनकी संस्तुति दिनांक: 22-09-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ श्री अजय कुमार शर्मा को उपलब्ध तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ द्वारा आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण की अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 25-09-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र श्री अमन शर्मा को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र द्वारा आख्याओं का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-कुल प्लाट एरिया-9,448.71 वर्ग मी0 है। जिसमें निर्मित भवन का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	तलों का विवरण	निर्मित कवर्ड एरिया वर्ग मी0।
01	भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल	1926.70 प्रत्येक तल।
02	बेसमेन्ट	1588.45
03	भवन की ऊर्चाई:-14.50 मीटर।	

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डस श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 के अनुसार एजुकेशनल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 18 मीटर चौड़ा रोड उपलब्ध है, तथा प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 05.00 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2-सेटबैक:- प्रश्नगत भवन के सेटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-06.00 मीटर से अधिक।

बी0-पृष्ठ भाग-06.00 मीटर से अधिक।

सी0-पार्श्व-प्रथम-06.00 मीटर से अधिक।

डी0-पार्श्व-द्वितीय-06.00 मीटर से अधिक।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक (ओपन स्पेस) एन0बी0सी0 एवं भवन विनियमावली के अनुसार उपलब्ध है। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायें, सैटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा। भवन के चारों ओर 06-06 मी0 का मोटरेबुल मार्ग सदैव खुला रखा जाना अनिवार्य होगा।

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में 03 अदद स्टेयरकेस जिनकी कमश: चौड़ाई 01.70, 01.70 व 01.30 मी0 एवं भूतल से ऊपरी तलों हेतु 04 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 02.00, 02.00, 02.00 व 01.70 मी0 निर्मित है। तथा समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0-3844 आदि के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पायी गयी।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

- 1-होजरील:-प्रश्नगत निर्मित भवन में डाउनकमर के पास ही होजरील कार्यशील दशा में स्थापित है।
- 2-डाउनकमर:-प्रश्नगत निर्मित भवन में डाउनकमर सिस्टम मानको के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है।
- 3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर 25,000 हजार लीटर क्षमता का टेरिस टैंक कार्यशील दशा में स्थापित है।
- 4-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर 450 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद टेरिस पम्प कार्यशील दशा में स्थापित है।
- 5-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये।
- 6-आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम कार्यशील दशा में स्थापित है।
- 7-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन में एग्जिट साईनेज उपलब्ध है।
- 8-भूमिगत टैंक:- प्रश्नगत भवन भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 9-पम्पस:-प्रश्नगत भवन में फायर पम्प एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 10-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रश्नगत निर्मित भवन में यार्ड हाईड्रेण्टस सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 11-वेटराइजर:- प्रश्नगत निर्मित भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 12-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 13-आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर अलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर अलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 14-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।
- 15-पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ एवं अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स एमआईटी पब्लिक स्कूल, द्वारा खसरा नं0-171/2, 172/1, 182/1, 173/2, 174/3, 181/1, 174/2, 170/2, 180/1 एवं 178, '6'माईल स्टोन, मवाना रोड जनपद मेरठ उ0प्र0 में निर्मित एजुकेशनल भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के आधार पर कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1-भवन प्रबन्धक को निर्देशित करने का कष्ट करे कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जायें।
- 2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन0बी0सी0 के अनुसार नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।
- 3-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व भवन निर्माण विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4-भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा एन0बी0सी0-2005 के एनेक्स-ई-3 के अनुसार इमरजेन्सी इवैक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 5- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

- प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित की अग्रिम ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
3-अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।